रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1974/कार्तिक 25, 1896

No. 472] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1974/KARTIKA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Library Govt. of India

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 16th November 1974

S.O. 659(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike or lockout in the services in the State of Kerala, connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply (including the works connected with the Idikki Hydro-electric Project in the State of Kerala) would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strike or lockout in the said services;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike or lockout, in connection with any industrial dispute in the said services for a period of six months.

[No. F. S-42025/9/74-LR.I]

N. P. DUBE, Addl. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 16 नवम्बर, 1974

का०आ० 659(अ).—यत : केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवायें बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यत : केरल राज्य में जनता के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदाय से अथवा ऐसे प्रदाय के प्रयोजन के लिए (जिसके अन्तर्गत वे कार्य आते हैं जो केरल राज्य में इडिक्की जल-विद्युत परियोजना से सम्बन्धित हैं) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचयन या प्रेषण से सम्बद्ध किन्हीं सेवाओं में हड़ताल या तालाबन्दी समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, अत: उक्त सेवाओं में हड़ताल या तालाबन्दी रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अत:, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त सेवाओं में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित किसी हड़ताल या तालाबन्दी को छ: मास की अवधि के लिए तुरन्त प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० फा० एस-42025/9/74-एल०आर-I]

नि० प्र० दुबे, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974